

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 16/2021- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के साथ पठित, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, "या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 3क के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, "या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (5) के तहत अधिसूचित सेवाओं पर उपरोक्त मद (ख) और (ग) में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा";

- (iv) क्रम संख्या 18 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ड.) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (5) के तहत अधिसूचित सेवाओं पर, उपरोक्त मद (ड.) में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा" ।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी 2022 से लागू होगी।

[फा.सं. 354/207/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 09/2017 - एकीकृत (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 7/2021- एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021, सा.का.नि 690 (अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।